



**PRESS
NOTE**



प्रेस नोट

चांदपुर पुलिस ने प्रेमजाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार तथा अभियुक्तगण से 04 मोबाइल बरामद ।

दिनांक 10.03.2023 को वादी अशरफ पुत्र अमीनुद्दीन निवासी ग्राम मीटानकुंवर प्रताप सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर के द्वारा प्रेमजाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर धोखाधड़ी कर रुपये ऐठने के सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर सूचना दी। सूचना के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 156/23 धारा 384/420/323/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। उक्त सनसनीखेज घटना से सम्बन्धित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान क्षेत्राधिकारी चांदपुर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक चांदपुर महोदय के कुशल नृतेत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया गठित टीम को आज दिनांक 11.03.2023 को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जिसमें वांछित अभियुक्त 1. नसीम पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौ0 पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, 2. साहिद पुत्र मुस्तफा हुसैन निवासी राजोपुर बहमन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर, 3. सैफुल पुत्र अमीर खालिद निवासी पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर, 4. शबाना उर्फ शब्बो पत्नी शहाबुद्दीन निवासी शेख सराय स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण से 04 अदद मोबाइल बरामद किये गये।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. नसीम पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौ0 पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर,
2. शाहिद पुत्र मुस्तफा हुसैन निवासी राजोपुर बहमन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर,
3. सैफुल पुत्र अमीर खालिद निवासी पीपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर,
4. शबाना उर्फ शब्बो पत्नी शहाबुद्दीन निवासी शेख सराय स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी -

1. मोबाइल फोन PLUS 256 सिम नम्बर 9411844060 2- मोबाइल फोन Y 20 सिम नम्बर 8958446645 3-मोबाइल फोन ONE PLUS सिम नम्बर 7983870458 4-मोबाइल फोन OPPO सिम नम्बर 9027471061



अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास -

1. शाहिद पुत्र मुस्तफा -

- A. मु0अ0सं0 439/21 धारा 120 बी/384 भा0द0वि0 ,
- B. मु0अ0सं0 485/22 धारा 323/325/427/504/506 भा0द0वि0
- C. मु0अ0सं0 522/22 धारा 323/392/406/504/506 भा0द0वि0
- D. मु0अ0सं0 525/21 धारा 506 भा0द0वि0
- E. मु0अ0सं0 156/23 धारा 384/420/323/504/506 भा0द0वि0

2. नसीम पुत्र अब्दुल गफ्फार - मु0अ0सं0 156/23 धारा 384/420/323/504/506 भा0द0वि0

3. सैफुल पुत्र अमीर खालिद - मु0अ0सं0 156/23 धारा 384/420/323/504/506 भा0द0वि0

4. शबाना उर्फ शब्बो - मु0अ0सं0 156/23 धारा 384/420/323/504/506 भा0द0वि0

पुलिस टीम का विवरण- निरीक्षक अपराध श्री राजेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री लोकेश कुमार, मुख्य आरक्षी 630 दीपक कुमार, आरक्षी 1435 हरवेन्द्र सिंह, महिला आरक्षी 911 राखी

थाना नूरपुर:- दिनांक 10.03.2023 की रात्रि में ग्राम अलीनगर पालनी में स्थित चामुंडा देवी स्थल पर तोड फोड करने वाला अभियुक्त महिपाल पुत्र सौनाथ सिंह निवासी ग्राम अलीनगर पाली थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 100/23 धारा 295 आईपीसी पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 11.03.2023 को अभियुक्त महिपाल उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।



थाना नगीना:- आज दिनांक 11.03.2023 को थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपू उर्फ दीपक पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम धर्म सा नगली थाना नगीना जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।





बिजनौर पुलिस



नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना कोतवाली शहर:- मा0मुख्यमंत्री उ0प्र0द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में #MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत #BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित #महिला हेल्प डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।

